117

[2023] 10 एस**.** सी**.** आर **117:2023** आई**.** एन**.** एस**.** सी**. 588**

ए.

उनके कर्मचारी भारत के खाद्य निगम के संयुक्त सचिव (वेल्फेयर) के माध्यम से काम करते हैं।

वी.

भारत और ए. एन. आर. के खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध में कर्मचारी।

बी.

(2023 की सिविल अपील संख्या 4152) 03 जुलाई, 2023

[कृष्णा मुरारी और संजय कुमार**,** जे**.** जे**.]**

सी.

अनुमोदन और प्रत्यर्पण-आयोजितःकिसी कार्यवाही के लिए किसी पक्ष को इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसका पालन करना; इससे लाभ प्राप्त करना; विरोधी पक्ष को अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से बदलने के लिए प्रेरित करना और फिर काफी समय बीतने के बाद अपनी चुनौती को दबाना-वर्तमान मामले में, एफ. सी. आई. के प्रबंधन ने औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, लेकिन इसमें सशर्त अंतरिम राहत प्राप्त करने के बाद, उसने फिर भी विवादित पुरस्कार को लागू करने का विकल्प चुना, हालांकि यह ऐसा करने के लिए कोई मजबूरी नहीं थी-प्रबंधन ने केवल कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने में कोई कमी नहीं की, बल्कि आगे बढ़कर उन्हें नियमित सेवा में शामिल कर लिया-अंतरिम आदेश के तहत सेवा में इस तरह का समावेशन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था और इसलिए, इसका पूरी तरह से कारण था -

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

117

कहा गया-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-एस. एस.10(1)(डी), 17 बी, 25 एफ-अधिग्रहण-एस्टोपेल।

भारत संघ और अन्य बनाम एन. मुरुगेसन और अन्य

(2022) 2 एस**.** सी**.** सी**. 25-**पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

बी.

(2022) 2 एससीसी **25**

उस पर भरोसा करें

पैरा **14**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील सं. 4152।

2019 के एल. पी. ए. सं. 80 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 17.12.2020 के निर्णय और आदेश से।

सी.

के साथ

2023 की सिविल अपील सं. 4153।

श्रीमती माधवी दीवान, एएसजी, गौरव बनर्जी, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, राकेश तालुकदार, अजीत पुद्दुसेरी, वरुण सिंह, सुश्री अलंकृति द्विवेदी, सुश्री उदिता सिंह, सुश्री वैष्णवी एस., श्रीमती वैशाली वर्मा, पी. वी. योगेश्वरन, बी. के. सतीजा, राजेश सिंह चौहान, अमरीश कुमार, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

संजय कुमार**,** जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. 2019 के एल. पी. ए. संख्या 80 में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित उसी दिनांक 1 के निर्णय से उत्पन्न होकर, ये दोनों अपीलें एक संयुक्त निपटान के लिए उत्तरदायी हैं।

एफ.

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (डी) के तहत जारी दिनांक 12.01.1996 के आदेश द्वारा, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी कर्मचारी संघ द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद को 21 आकस्मिक श्रमिकों के कारण का समर्थन करते हुए, निर्णय के लिए संदर्भित किया।इसे केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद (इसके बाद, 'न्यायाधिकरण') को स्थानांतरित कर दिया गया था और 1996 के संदर्भ संख्या 128 के रूप में फाइल में लिया गया था।संदर्भ की अनुसूची ने समाधान के लिए विवाद को निम्नानुसार निर्धारित किया हैः

जी.

‘चाहे भारतीय खाद्य निगम, पटना के प्रबंधन की कार्रवाई, एस/एस की सेवाओं को कम करना। शशि शंकर और ए.

एच.

उनके कर्मचारी संयुक्त सचिव (वेलफ़ेयर), एफ. सी. आई. कार्यकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से काम करते हैं।एफ. सी. आई. ए. के प्रबंधन के संबंध में कर्मचारी

119

20 अन्य (संलग्न सूची) उचित और कानूनी है?यदि नहीं, तो संबंधित श्रमिक किस राहत के हकदार हैं?’

4. दोनों पक्षों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष एक-एक गवाह से पूछताछ की गई।प्रदर्शनी एम 1 से एम 7 को भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) के प्रबंधन द्वारा चिह्नित किया गया था जबकि प्रदर्शनी डब्ल्यू1 से डब्ल्यू12 को श्रमिकों की ओर से चिह्नित किया गया था। दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने पर, न्यायाधिकरण ने पाया कि विचाराधीन 21 श्रमिकों को पटना में एफ. सी. आई. द्वारा आकस्मिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी छंटनी अमान्य थी, क्योंकि उन्हें न तो नोटिस दिया गया था और न ही मुआवजा दिया गया था।इसके अलावा, यह पाए जाने पर कि आकस्मिक श्रमिकों की सेवा में बहाली और नियमितीकरण का निर्देश देने वाले एक पूर्व पुरस्कार को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, न्यायाधिकरण ने राय दी कि इन 21 श्रमिकों को भी सेवा में नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के पदों में रिक्तियां उपलब्ध थीं।हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रमिकों ने लंबे समय से सेवा प्रदान नहीं की थी, न्यायाधिकरण ने मजदूरी वापस करने के लिए उनकी पात्रता को सीमित कर दिया।परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण ने आई. डी. 1 दिनांकित पुरस्कार पारित किया, जिसमें कहा गया कि इन श्रमिकों की सेवाओं में छंटनी करने में एफ. सी. आई. के प्रबंधन की कार्रवाई उचित नहीं थी और प्रबंधन को निर्देश दिया कि उन्हें आई. डी. 2 से प्रभावी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बहाल

किया जाए और उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए, यानी उनकी छंटनी की तारीख, और उन्हें एक समय सीमा के भीतर उनके पिछले वेतन का 75 प्रतिशत भुगतान किया जाए।

बी.

सी.

डी.

5. उक्त पुरस्कार से व्यथित होकर, एफ. सी. आई. के प्रबंधन ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 1998 (आर) की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 953 दायर की।पुरस्कार पर अंतरिम रोक 05.08.1999 पर रिट याचिका में दी गई थी, बशर्ते कि एफ. सी. आई. श्रमिकों द्वारा अंतिम बार लिए गए पूरे वेतन का भुगतान करना जारी रखे।इसके बाद, प्रबंधन ने उनमें से प्रत्येक को प्रति माह 1,507 का भुगतान करना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि वे केवल न्यूनतम मजदूरी के हकदार हैं।इस पर आपत्ति जताते हुए, श्रमिकों ने 2000 के एमजेसी मामले संख्या 371 में अवमानना कार्यवाही शुरू की।इस अवमानना मामले का निपटारा आई. डी. 1 पर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि प्रबंधन दो सप्ताह के भीतर आई. डी. 2 के स्थगन आदेश की शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो यह स्वतः ही खाली हो जाएगा और कर्मचारी पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के हकदार होंगे।इसके बाद प्रबंधन ने पुरस्कार को लागू करने के लिए दिनांक 10/17.11.2000,24/26.11.2000 और 27.11.2000 के आदेश जारी किए।श्रमिकों को नियमित सेवा में शामिल किया गया और उनके पिछले वेतन का 75 प्रतिशत 10.05.1990 से 18.03.1997 तक और उसके बाद की अवधि के लिए चतुर्थ श्रेणी पर लागू पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया।यह अनुपालन रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन किया गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

6. हालाँकि, झारखंड उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने 1998 (आर) के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 953 को 01.11.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

विद्वान न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि की कि संबंधित श्रमिकों ने पिछले 12 महीनों में पटना में एफ. सी. आई. में 240 दिनों तक काम किया था और फिर उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना ऐसा करने से रोक दिया गया था।इसके अलावा, विद्वान न्यायाधीश ने नोट किया कि प्रबंधन ने श्रमिकों के इस दावे का खंडन नहीं किया कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश के अनुसार सेवा में नियमित किया गया था और इसने विचाराधीन श्रमिकों के मामलों को इस तरह से नियमित किए गए श्रमिकों के मामलों से अलग करने के लिए किसी भी कारक का उल्लेख नहीं किया।ऐसा कहने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि एक आकस्मिक कर्मचारी जिसने पिछले कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था, केवल तभी सेवा में बहाली का हकदार होगा, जब उसकी सेवा से समाप्ति बिना किसी सूचना या उसके बदले मुआवजे के हो, जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ के तहत प्रदान किया गया है, और वह सेवा में नियमितीकरण की मांग करने का हकदार नहीं होगा।हालाँकि, चूंकि प्रबंधन ने रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश में लगाई गई शर्त का पालन किए बिना, विवादित पुरस्कार का पालन करने का फैसला किया था, और चूंकि संबंधित कर्मचारी 18 वर्षों से अधिक समय से विवादित पुरस्कार का लाभ उठा रहे थे, इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि अगर उस स्तर पर स्थिति बदल दी जाती है तो यह उनके लिए बड़ी कठिनाई पैदा करेगा।तदनुसार, विद्वान न्यायाधीश ने पुरस्कार को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।

बी.

सी.

डी.

ई.

7. इसके बाद इस मामले को प्रबंधन द्वारा 2019 के एल. पी. ए. संख्या 80 में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष अपील में उठाया गया था।डिवीजन बेंच ने दिनांक 1 के फैसले द्वारा अपील के तहत आदेश को संशोधित किया, पुरस्कार को इस हद तक रद्द कर दिया कि उसने श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया।यह संशोधन इस आधार पर किया गया था कि औद्योगिक विवाद के संदर्भ में नियमितीकरण की कोई अवधि नहीं होने पर इस तरह की राहत को बनाए नहीं रखा जा सकता था।डिवीजन बेंच ने विद्वत न्यायाधीश के उस आदेश को दरकिनार करते हुए अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया था, लेकिन पिछले वेतन का 75 प्रतिशत भुगतान करने के निर्देश को छोड़ दिया था।

एफ.

जी.

8. डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ दोनों पक्ष इस अदालत में अपील कर रहे हैं।एफ. सी. आई. के कार्यकारी कर्मचारी संघ ने ए. के इनकार से व्यथित संबंधित श्रमिकों की ओर से एक अपील दायर की।

एच.

उनके कर्मचारी संयुक्त सचिव (वेलफ़ेयर), एफ. सी. आई. कार्यकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से काम करते हैं।एफ. सी. आई. के प्रबंधन के संबंध में कर्मचारी [संजय कुमार, जे.] ए.

121

उनकी सेवाओं का नियमितीकरण, जबकि एफ. सी. आई. का प्रबंधन उक्त श्रमिकों की बहाली और पिछले वेतन के 75 प्रतिशत के भुगतान के निर्देश के खिलाफ अपील कर रहा है।श्रमिकों की ओर से दायर 2021 के एसएलपी (सी) 3656 में 08.03.2021 पर नोटिस जारी करते हुए, इस अदालत ने निर्देश दिया कि डिवीजन बेंच के फैसले के संचालन पर रोक रहेगी। 2021 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 366 को इस स्थगन आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाते हुए स्थापित किया गया था और इसे 26.07.2022 पर कुछ टिप्पणियों के साथ निपटाया गया था।

बी.

9. उल्लेखनीय रूप से, विवादित डिवीजन बेंच के दिनांक 1 के फैसले के पैरा 12 में दर्ज किया गया है कि एफ. सी. आई. के प्रबंधन के लिए विद्वान अधिवक्ता ने पुरस्कार के उस हिस्से पर हमला नहीं किया जिसमें 75 प्रतिशत की सीमा तक बहाली और पिछले वेतन के भुगतान के लिए निर्देश दिए गए थे और यह कि प्रबंधन नियमितीकरण से संबंधित पुरस्कार से व्यथित था।वास्तव में, डिवीजन बेंच के समक्ष अपनी अपील में प्रबंधन द्वारा उठाए गए आधार ज्यादातर श्रमिकों की सेवाओं के नियमितीकरण के पहलू से संबंधित थे और बहाली के मुद्दे का केवल एक पारित संदर्भ था।किसी भी स्थिति में, डिवीजन बेंच द्वारा स्पष्ट रिकॉर्डिंग के आलोक में कि प्रबंधन सेवा में बहाली और पिछले वेतन के भुगतान का निर्देश देने की सीमा तक पुरस्कार को लागू नहीं कर रहा था, प्रबंधन के लिए इस न्यायालय के समक्ष इसे उठाने के लिए खुला नहीं है।इसलिए, इन मुद्दों को उठाते हुए एफ. सी. आई. के प्रबंधन द्वारा दायर अपील को उस छोटे से आधार पर खारिज किया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

10. जहां तक श्रमिकों की ओर से दायर अपील का संबंध है, उसमें उठाया गया एकमात्र मुद्दा उन श्रमिकों की सेवा में नियमितीकरण और ऐसी राहत देने की सीमा तक पुरस्कार की वैधता के बारे में है।इस स्तर पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि हालांकि विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं यह निष्कर्ष निकाला था कि न्यायाधिकरण द्वारा सेवा में नियमितीकरण का आदेश नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसमें हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया क्योंकि इस बीच श्रमिकों ने लगभग 18 वर्षों तक नियमित सेवा प्रदान की थी और उस स्तर पर हस्तक्षेप उन पर कठोर होगा।दूसरी ओर, खंड पीठ ने कहा कि एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि कोई गलत आदेश पारित किया गया था, तो इस तरह की गलती को स्थायी बनाने के बजाय उसे सुधारना उसका संप्रभु कर्तव्य होगा।हालांकि, खंड पीठ ने उन निर्णायक विशेषताओं पर विचार नहीं किया जो न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखते हुए विद्वान न्यायाधीश के साथ थीं।, तथ्य यह है कि एफ. सी. आई. के प्रबंधन ने रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पुरस्कार को पूरी तरह से लागू करने का विकल्प चुना और यह तथ्य कि कर्मचारी

एफ.

जी.

एच.

18 वर्षों तक इसका लाभ उठाया।इस संबंध में, पुरस्कार के अनुपालन में प्रबंधन द्वारा जारी 24/26.11.2000 दिनांकित कार्यालय आदेश प्रासंगिक है।यह नीचे लिखा हैः

'भारत का खाद्य निगम

जिला कार्यालयः उत्तर गांधी मैदान (गया) संदर्भः नहीं। ऐसा है।10[सी/एल-कम-क्लास-IV]/2000/1927 24/26.11.2000

बी.

कार्यालय आदेश

सी. जी. आई. टी. धनबाद द्वारा आई. डी. केस No.128/96 में दिनांकित <आई. डी. 2 के आदेश के अनुसरण में, सी. डब्ल्यू. जे. जे. सी. No.953/98 [आर] में दिनांकित 5.8.1999 का अंतरिम आदेश पारित किया गया और बाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, रांची द्वारा एम. जे. सी. संख्या 371/2000 में दिनांकित 12.05.2000 का आदेश

पारित किया गया और वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, एफ. सी. आई., पटना कार्यालय आदेश No.Estt के अनुपालन में।30[88]/94-Vol.II दिनांकित 10.11.2000, निम्नलिखित Ex.Casual कामगारों को इसके द्वारा Cat.IV [चौकीदार] में फिर से स्थापित किया जाता है।

सी.

डी.

वे पूर्ण वेतन का 75 प्रतिशत 10.05.1990 से 18.03.1997 तक और उसके बाद Cat.IV का पूर्ण वेतन पाने के हकदार हैं।

इसके अलावा, उपरोक्त आदेश सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.953/98 के परिणाम के अधीन है जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना, रांची पीठ के समक्ष लंबित है।

ई.

उन्हें इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 [दस] दिनों के भीतर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

एफ.

एसआरएल। नहीं। नाम

1. श्री शशि शंकर।

.....

21. श्री अजय कुमार।

जी.

एसडी/-

जिला प्रबंधक [आई/सी]

....’ ए.

एच.

उनके कर्मचारी संयुक्त सचिव (वेलफ़ेयर), एफ. सी. आई. कार्यकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से काम करते हैं।एफ. सी. आई. के प्रबंधन के संबंध में कर्मचारी [संजय कुमार, जे.] ए.

11. इसके बाद एफसीआई के प्रबंधन ने 27.11.2000 पर एक शुद्धिपत्र जारी किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है।शुद्धिपत्र इस प्रकार हैः‘भारत का खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना-1

आरईएफः NO.ESTT.30 [88]/94-VOL.-II

तारीखः27.11.2000

बी.

कॉरिजेनडम

एस/श्री शशि शंकर और एफ. एस. डी., चंदौती के 20 अन्य आकस्मिक श्रमिकों की पुनः स्थापना के संबंध में दिनांक <आई. डी. 1 के संदर्भ में जारी किए गए कार्यालय आदेश में, उक्त कार्यालय आदेश की पंक्ति 6 में उल्लिखित "पुनः स्थापित" शब्द को "अवशोषित" के रूप में पढ़ा जा सकता है।

सी.

एसडी/-

क्षेत्रीय प्रबंधक

...’12. विशेष रूप से, 1998 (आर) के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 953 में दिनांकित अंतरिम आदेश के अनुसार एफ. सी. आई. के प्रबंधन के लिए केवल इतना ही आवश्यक था कि उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 बी के उचित अनुपालन में उक्त रिट याचिका के निपटारे तक संबंधित श्रमिकों द्वारा अंतिम बार निकाले गए पूरे वेतन का भुगतान करना चाहिए।इसके बाद, 2000 के एम. जे. सी. मामला संख्या 371 में पारित अंतिम आदेश ने प्रबंधन को केवल इस बात की सूचना दी कि यदि वह दो सप्ताह के भीतर सशर्त स्थगन आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उक्त आदेश खाली हो जाएगा और कर्मचारी पुरस्कार के कार्यान्वयन की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।इस स्थिति का सामना करते हुए, एफ. सी. आई. का प्रबंधन संबंधित श्रमिकों को अंतिम बार दिए गए वेतन का भुगतान कर सकता था।यह रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपने अंतरिम संरक्षण के निरंतर निर्वाह के लिए पर्याप्त होता।हालाँकि, एफ. सी. आई. के प्रबंधन ने इस कार्रवाई को अपनाने का विकल्प नहीं चुना।अपने विवेक में, प्रबंधन ने न केवल संबंधित श्रमिकों को दिनांकित 10/17.11.2000 और 24/26.11.2000 के कार्यालय आदेशों के तहत बहाल किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर उक्त श्रमिकों को नियमित सेवा में 'अवशोषित' करते हुए दिनांकित 27.11.2000 शुद्धिपत्र जारी किया।वास्तव में, एफ. सी. आई. के प्रबंधन ने रिट याचिका में दिए गए सशर्त अंतरिम संरक्षण के बावजूद स्वेच्छा से पुरस्कार को पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

13. एफ. सी. आई. के प्रबंधन की कमजोर याचिका कि उसे अवमानना की धमकी के तहत पुरस्कार का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि 2000 के एम. जे. सी. मामले संख्या 371 में अवमानना कार्यवाही नवंबर, 2000 में 'बहाली' और 'अवशोषण' के आदेश जारी होने से बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी।इस कार्रवाई के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के बाद, भले ही इसे लंबित रिट याचिका के परिणाम के अधीन बनाकर, सवाल यह उठता है कि क्या एफ. सी. आई. के प्रबंधन को इस अंतिम चरण में स्पष्ट रूप से अनुमति दी जा सकती है।उल्लेखनीय है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रबंधन ने कम से कम पुरस्कार का पालन करने के बाद रिट याचिका के शीघ्र निपटारे की मांग की है, जिससे यह उसके परिणाम के अधीन हो।वास्तव में, प्रबंधन ने खुशी-खुशी स्थिति को 18 लंबे वर्षों तक जारी रखने की अनुमति दी, जब तक कि नवंबर, 2018 में रिट याचिका खारिज नहीं हो जाती।

बी.

सी.

14. इस तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए, हमारी राय है कि झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में पूरी तरह से उचित था कि उन्होंने ऐसा किया, जिससे पुरस्कार को बरकरार रखा गया।

डी.

भारत संघ में और अन्य बनाम एन. मुरुगेसन और अन्य

[(2022) 2 एस. सी. सी. 25], इस न्यायालय ने इंगित किया कि 'अनुमोदन' और 'खंडन' वाक्यांशों का अर्थ है कि किसी भी पक्ष को एक ही बात को स्वीकार और अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि चुनाव के सिद्धांत के पीछे का सिद्धांत अनुमोदन और

खंडन की अवधारणा में अंतर्निहित है, अर्थात, किसी व्यक्ति को सवाल करते समय किसी साधन का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह ध्यान दिया गया कि निष्पक्ष खेल का एक तत्व इस सिद्धांत में अंतर्निहित है और यह एक पक्ष के आचरण से संबंधित विबंध की एक प्रजाति है।

ई.

15. इस मामले में, एफ. सी. आई. के प्रबंधन ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की, लेकिन उसमें सशर्त अंतरिम राहत प्राप्त करने के बाद, प्रबंधन ने विवादित पुरस्कार को लागू करने का फैसला किया, हालांकि ऐसा करने की कोई मजबूरी नहीं थी।जैसा कि यहाँ पहले बताया गया है, प्रबंधन केवल श्रमिकों को सेवा में बहाल करने में ही नहीं रुका, बल्कि आगे बढ़कर उन्हें नियमित सेवा में शामिल कर लिया। सेवा में इस तरह के अवशोषण की तारीख 05.08.1999 के अंतरिम आदेश के तहत बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, इसका श्रेय एफ. सी. आई. के प्रबंधन की इच्छा और इच्छा को दिया जा सकता था।वास्तव में, एफ. सी. आई. के प्रबंधन ने, चाहे वह किसी भी कारण से हो, पुरस्कार को पूरी तरह से स्वीकार करने का फैसला किया, हालांकि उसने इस तरह के अनुपालन को रिट याचिका के परिणाम के अधीन कर दिया।इसके बाद, रिट ए के शीघ्र निपटारे के लिए समय पर उपाय करने में यह लापरवाही है

एफ.

जी.

एच.

उनके कर्मचारी संयुक्त सचिव (वेलफ़ेयर), एफ. सी. आई. कार्यकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से काम करते हैं।एफ. सी. आई. के प्रबंधन के संबंध में कर्मचारी [संजय कुमार, जे.]

125

याचिका ने मामले को और जटिल बना दिया, जिससे 18 साल बीत गए, जो निर्णायक रूप से विद्वान न्यायाधीश के साथ था और हमारी सुविचारित राय में, सही था।किसी कार्यवाही के लिए किसी पक्ष को इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसका पालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है; इससे लाभ प्राप्त करें; विरोधी पक्ष से अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से बदलने के लिए कहें; और फिर काफी समय बीतने के बाद अपनी चुनौती को दबाएं।

बी.

16. दो दशकों से अधिक समय तक श्रमिकों को अपने लाभ के लिए नियमित सेवा में रहने की अनुमति देने के बाद, प्रबंधन अब पुरस्कार को जारी रखने और चुनौती देने के लिए एक

अक्षम्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, केवल इसलिए कि उसने बहुत पहले ही पुरस्कार के साथ अपना अनुपालन सशर्त कर लिया था।नियमित सेवा में अपने अवशोषण के आलोक में, इन श्रमिकों, जिन्होंने अन्यथा कहीं और रोजगार के अवसरों का विकल्प चुना होगा, ने अपनी स्थिति बदल दी और एफ. सी. आई. के साथ बने रहे। उन्हें उस स्थिति में रखने के बाद, अब एफ. सी. आई. के प्रबंधन के लिए यह खुला नहीं है कि वह समय को पीछे करने की कोशिश करे।दुर्भाग्य से, प्रबंधन की अपील पर विचार करते समय डिवीजन बेंच ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया।मामले के उस दृष्टिकोण में, हम तथ्यात्मक स्थिति की अनदेखी करते हुए, डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए कानूनी रूप से भारी लेकिन अनिवार्य रूप से पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण को स्वीकार करके, दो दशकों से अधिक समय से प्राप्त स्थिति को बदलने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

सी.

डी.

17. एफ. सी. आई. के कार्यकारी कर्मचारी संघ द्वारा श्रमिकों की ओर से दायर अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है और झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2019 के एल. पी. ए. संख्या 80 में पारित निर्णय को खारिज कर दिया जाता है।परिणामस्वरूप, 1998 (आर) के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 953 में विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित 01.11.2018 दिनांकित आदेश और 1996 के संदर्भ <आई. डी. 3 में केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद द्वारा पारित 18.03.1997 दिनांकित पुरस्कार, इस न्यायालय द्वारा 2021 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 3656 में 2021 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 366 में पारित 26.07.2022 दिनांकित आदेश में टिप्पणियों के अधीन रहते हुए बहाल किए जाते हैं।

ई.

एफ.

एफ. सी. आई. के प्रबंधन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है।दोनों अपीलों में लंबित आई. ए., यदि कोई हो, बंद रहेंगे।दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

जी.

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

एच.